बहस हेतु अवसर चाहा है। आगामी पेशी दिनांक पर अनिवार्य रूप से बहस हो। पत्रावली दिनांक 27.11.19 को पेश हो।

27/11/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित है। प्रार्थना पत्र O.7 R.11 पर बहस मूल वाद में सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4.12.19 को मूल वाद के साथ पेश हो।

4/12/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित है। मूल वाद में आदेश/निर्णय अन्य कार्य की व्यस्तता के कारण नहीं लिखा जा सका। अतः पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक 9.12.19 को पेश हो।

9/12/19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित है। मूल वाद में प्रार्थना पत्र O.7 R.11 स्वीकार होकर मूल वाद खारीज हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण हो जाने से अब इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1-2 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी खारीज किया जाता है। पत्रावली कैफियत शुमार होकर जाब्ता से फ़ाइल हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
(एस.डी ओ.) कुम्भलगढ़
जिला–राजसमन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2019.12.30 16:14:39 IST
Reason: SelfAttested